प्रेस नोट दि0-23.05.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

बीट आरक्षी रामकिशन व आरक्षी केवल साहू की सतर्कता से 02 गैंगस्टर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार
थाना संग्रामगढ़ के बीट आरक्षी रामकिशन व आरक्षी केवल साहू ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा
बीट आरक्षी रामकिशन व आरक्षी केवल साहू ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर
एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना संग्रामगढ़ के आरक्षी रामकिशन व आरक्षी केवल साहू को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र
थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत लोहियापुल नहर के पास से गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्तों पर गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधि0, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर बीट आरक्षी रामकिशन व आरक्षी केवल साहू के सहयोग से थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 85/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़ में वांछित 02 अभियुक्तों, 1. पुत्ता पटेल उर्फ वीरेंद्र पटेल पुत्र रामअभिलाष पटेल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम भुन्ना का पुरवा भद्दिव थाना संग्रामगढ़ प्रतापगढ़, 2. कमलेश पटेल पुत्र बैजू पटेल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम खगवा भद्दिव थाना संग्रामगढ़ प्रतापगढ़ को आज दिनांक 23.05.2025 को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत लोहियापुल नहर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1- अभियुक्त पुत्ता पटेल उर्फ वीरेंद्र पटेल पुत्र रामअभिलाष पटेल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम भुन्ना का पुरवा भद्दिव थाना संग्रामगढ़ प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0स0 279/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना संग्रामगढ़ प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0- 85/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़।

2- अभियुक्त कमलेश पटेल पुत्र बैजू पटेल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम खगवा भद्दिव थाना संग्रामगढ़ प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0स0 279/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना संग्रामगढ़ प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0- 85/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन।

लूट के अभियोग से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को 01 अदद तमन्चा 315 बोर व लूट के 1150/- रूपए व घटना में प्रयुक्त 01 पैशन प्रो मोटर साइकिल बरामद की गई

घटना का विवरण-
वादी कनेक्ट इण्डिया डिलवरी Flipkart आफिस में डिलवरी ब्याय के रुप में कार्य करता है । वादी पार्सल बांटने के लिए निकला था कि वापस आते थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत उमरी कोटला के पास दो अज्ञात पैशन प्रो बाइक सवार के द्वारा तमंचे के बल पर वादी से छिनैती की घटना कारित की गई थी। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 88/25 धारा 309(6) का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 23.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमति करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बाघराय श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक मय हमराह हे0का0 राजेन्द्रनाथ तिवारी, का0 विजय सिंह थाना बाघराय द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 88/25 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त सिंकू सिंह उर्फ यशवन्त सिंह पुत्र हरिशरण सिंह नि0ग्राम उमरीकोटिला थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 28 वर्ष को दिनांक- 23.05.2025 को लूट के 1150 रु0/- व 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ थाना बाघराय क्षेत्रातर्गत धुधुरकीपुर गांव को जाने वाली पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। लूट की घटना में प्रयुक्त 01 पैशन प्रो मोटर साइकिल बरामद, जिसको धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. सिंकू सिंह उर्फ यशवन्त सिंह पुत्र हरिशरण सिंह नि0ग्राम उमरीकोटिला थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी-
01. लूट के 1150/- रुपये बरामद।
02. 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।
03. घटना में प्रयुक्त 01 पैशन प्रो मोटर साइकिल बरामद जिसको धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक मय हमराह हे0का0 राजेन्द्रनाथ तिवारी, का0 विजय सिंह थाना बाघराय प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

दिनांक 22.05.2025 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रातंर्गत मोहनगंज देवघाट नदी पुल के किनारे बच्ची की रोने की आबाज सुनाई दी । एक जिम्मेदार राहगीर ने पुलिस को तुरन्त सूचना दी । तत्काल पुलिस ने 1-2 मिनट में वहां पर पहुंची, तत्परता एवं संवेदनशीलता दिखाते हुए बच्ची को तुरन्त रेस्क्यू किया एवं तुरन्त अस्पताल ले गये । अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार हेतु प्रयागराज रेफर किया गया । पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची का बेहतर इलाज का प्रयास किया एवं सीटी स्कैन कराया । वर्तमान में बच्ची उपचाररत है । प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा टीमें गठित करके और मामले का अनावरण करने के लिए टीमों को निर्देशित किया । पुलिस की टीमों द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए बच्ची की पहचान की गई । बच्ची की मां ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की किन्तु सीसीटीवी एवं पूछताछ में यह सामने आया कि बच्ची की मां बच्ची को लेकर घटनास्थल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है । बच्ची की मां ने स्वीकार किया है घटना को उसी ने अंजाम दिया है । बच्ची के दादा की लिखित तहरीर पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 119/25 धारा 109(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में दिनांक 23.05.2025 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 एहसानुल हक मय हमराह कां० विश्वदीप, म0का0 अंजू मौर्या थाना कोतवाली देहात द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 119/25 धारा 109(1) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 एहसानुल हक मय हमराह कां० विश्वदीप, म0का0 अंजू मौर्या थाना कोतवाली देहात, प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध 01 तमंचा देशी .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत एटीएल ग्राउण्ड पुलिया के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक श्री अभिषेक सिरोही के नेत्तृत्व में दिनांक 23.05.2025 को थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 श्री मृत्युंजय पाण्डेय मय हे0का0 दुर्गविजय कुमार, हे0का0 शत्रुन्जय शर्मा, उ0नि0 अजय कुमार, का0 किशल पाल, का0 प्रवीण कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत एटीएल ग्राउण्ड पुलिया के पास से अभियुक्त शाहबाज पुत्र मो0 अलीम उम्र 20 वर्ष नि0 ग्राम जुड़ा पट्टी ज्ञानीपुर थाना बाबूगंज जनपद सुल्तानपुर को अवैध 01 तमंचा देशी .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त शाहबाज के कब्जे से अवैध 01 तमंचा देशी .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 120/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- शाहबाज पुत्र मो0 अलीम उम्र 20 वर्ष नि0 ग्राम जुड़ा पट्टी ज्ञानीपुर थाना बाबूगंज जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी-
अवैध 01 तमंचा देशी .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-
उ0नि0 श्री मृत्युंजय पाण्डेय मय हे0का0 दुर्गविजय कुमार, हे0का0 शत्रुन्जय शर्मा, उ0नि0 अजय कुमार, का0 किशल पाल, का0 प्रवीण कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ

बीट आरक्षी लाल बहादुर वर्मा की सतर्कता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त को किया गिरफ्तार
थाना महेशगंज के बीट आरक्षी लाल बहादुर वर्मा ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा
बीट आरक्षी लाल बहादुर वर्मा ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर
एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना महेशगंज के आरक्षी लाल बहादुर वर्मा को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र
थाना महेशगंज पुलिस द्वारा थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत भैसाना मोड़ के पास से गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त लूट, मारपीट, गैंगस्टर एक्ट, एससी/एसटी एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर बीट आरक्षी लालबहादुर वर्मा के सहयोग से थाना महेशगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 77/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना महेशगंज, प्रतापगढ़ में वांछित 01 अभियुक्त बच्चू पटेल उर्फ विश्वास वर्मा पुत्र ओम प्रकाश पटेल निवासी ग्राम बसावन लाला का पुरवा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 23 वर्ष को आज दिनांक 23.05.2025 को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत भैसाना मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
बच्चू पटेल उर्फ विश्वास वर्मा पुत्र ओम प्रकाश पटेल निवासी ग्राम बसावन लाला का पुरवा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 23 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0स0 153/2023 धारा 323,504,506 भादवि 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट थाना जेठवारा प्रतापगढ़ ।
02. मु0अ0सं0- 196/2023 धारा 323,504,506 भादवि थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ ।
03. मु0अ0स0 122/2024 धारा 392,323,504,506,411 भादवि 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना जेठवारा प्रतापगढ़ ।
04. मु0अ0सं0- 77/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना महेशगंज, प्रतापगढ़

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
वादिनी के पति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किये जाने के प्रकरण में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-
थाना कुण्डा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौली पेट्रोल पंप के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादिनी दिनांक 10.03.2025 को अपने पति को कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ पाई थी । वादिनी के पति का भूमि संबंधी विवाद था । जिसको लेकर अभियुक्त द्वारा गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी थी । भूमि न मिलने व मानसिक उत्पीड़न से आहत होकर वादिनी के पति ने आत्महत्या कर ली । जिसके संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा में मु0अ0सं0-74/2025 धारा- 351 (3) / 352/108 बीएनएस व 3 (1)द, 3 (1)ध, 3(2)5 क, 3 (2) 5 एससी/एसटी एक्ट बनाम मुनीष सुत अब्दुल गफ्फार नि ग्रा मौली तह कुण्डा प्रतापगढ़ काअभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्त/ अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 दुर्गेश सिंह व उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह व हे0का0 शिशुपाल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वाँछित अपराधी के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-74/2025 धारा- 351 (3) / 352/108 बीएनएस व 3 (1)द, 3 (1)ध, 3(2)5 क, 3 (2) 5 एससी/एसटी एक्ट से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त मुनीष अहमद पुत्र अब्दुल

जफ्फार निवासी ग्राम मौली थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 58 वर्ष को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत मौली पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
मुनीष अहमद पुत्र अब्दुल जफ्फार निवासी ग्राम मौली थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 58 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 दुर्गेश सिंह व उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह व हे0का0 शिशुपाल सिंह थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 सूबेदार राय मय हमराह का0 कृष्णा पाल व का0 आशीष चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0नं0 57/2023 अ0सं0 23/2014 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 वारंटी बाबूलाल पुत्र रामनिहोर निवासी नौढिया पूरे रघुवर थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. बाबूलाल पुत्र रामनिहोर निवासी नौढिया पूरे रघुवर थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 सूबेदार राय मय हमराह का0 कृष्णा पाल व का0 आशीष चौहान थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहंडौर के म0उ0नि0 आरती पटेल मय हमराह हे0का0 अनिल यादव, का0 अजय गौड़ व म0आ0 गुडिया बघेल द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान एसपीटी नं0 665/2020 अ0सं0 20/2019 धारा 2/3 यूपी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 वारंटी अभिषेक सरोज पुत्र स्व0 नेपाल सरोज उम्र करीब 28 वर्ष नि0 कस्बा कोहंडौर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- 1. अभिषेक सरोज पुत्र स्व0 नेपाल सरोज उम्र करीब 28 वर्ष नि0 कस्बा कोहंडौर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-
म0उ0नि0 आरती पटेल मय हमराह हे0का0 अनिल यादव, का0 अजय गौड़ व म0आ0 गुडिया बघेल थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

फायरिंग, मारपीट, गाली गलौज व धमकी के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त 01 अदद SBBL हाफ गन लाइसेंसी 12 बोर मय 3 अदद जिन्दा कारतूस बरामद

थाना पट्टी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को भरोखन नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-
थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरेखिरोधर में बर्थडे पार्टी के दौरान लाइसेंसी शस्त्र से फायरिंग करने व आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर वादिनी के दरवाजे पर आकर मारपीट, गाली-गलौज, धमकी देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 21.05.2025 को थाना पट्टी में मु0अ0सं0 148/ 25 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(2), 333, 288, 324(2) बीएनएस व 30 आयुध अधिनियम बनाम 05 नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा॒0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना पट्टी श्री आदित्य सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराह का० अभिनव नारायण सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी में पंजीकृत मु0अ0सं0 148/ 25 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(2), 333, 288, 324(2) बीएनएस व 30 आयुध अधिनियम से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त, प्रदीप कुमार गौतम पुत्र स्व0 राजाराम निवासी ग्राम कंजा सराय गुलामी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ को 01 अदद SBBL हाफ गन लाइसेंसी 12 बोर मय 3 अदद जिन्दा कारतूस के साथ थानाक्षेत्र अन्तर्गत भरोखन नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 20.05.25 को मेरे रिश्तेदार ग्राम पूरेखिरोधर थाना पट्टी प्रतापगढ़ की लडकी का जन्मदिन था। जिसको बर्थडे पार्टी के रुप मे आयोजित किया था वहां मेरा भी निमंत्रण था। जहां पर मै अपनी लाइसेंसी बन्दूक SBBL हाफ गन 12 बोर लेकर गया था। जहां पर केक काटते समय मेरी बन्दूक से स्टेज पर चढकर हर्ष फायरिंग की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01- प्रदीप कुमार गौतम पुत्र स्व0 राजाराम निवासी ग्राम कंजा सराय गुलामी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी- 01 अदद SBBL हाफ गन लाइसेंसी 12 बोर मय 3 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराह का० अभिनव नारायण सिंह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर ₹5.75 लाख की ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी

मानव अंग प्रत्यारोपण के नाम पर धोखाधड़ी में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र के बभनमई बगिया के ककरहवा बीर बाबा के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी ने अपनी पत्नी की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मदद की अपेक्षा करते हुए आरोपीगण से संपर्क किया था। आरोप है कि अभियुक्तगण ने वादी से किडनी उपलब्ध कराने के नाम पर फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के माध्यम से कुल ₹5,75,000 की धनराशि वसूल की। जिसके संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 147/2025 धारा 316(2), 319(2), 351(3), 338, 336(3), 340(2), 111 बीएनएस व धारा 19 मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 बनाम 02 नामजद व अन्य साथी नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम/ अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना रानीगंज श्री अर्जून सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक शशिकान्त यादव मय हमराह का0 मनोज द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मूखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 147/2025 धारा 316(2), 319(2), 351(3), 338, 336(3), 340(2), 111 बीएनएस व धारा 19 मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 से संबंधित वांछित अभियुक्त, 1. रोहित कुमार यादव पुत्र बजरंगबली उर्फ बजरंगी यादव निवासी ग्राम बभनमई थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के बभनमई बगिया के ककरहवा बीर बाबा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैने व मेरी साली पूर्व मे अपनी किडनी बेच चुके है तथा हम लोग फेसबुक के माध्यम से किडनी डोनर का ऐड (प्रचार) करते हुए जिनकी किडनी की समस्या रहती है उनके लिए इधर उधर करते किडनी की व्यवस्था कराते है। इस बीच मे हम लोगो को काफी रुपये प्राप्त हो जाते है जिसका उपयोग हम लोगो निजी जीवन व दैनिक जरुरत को पूरा करते है। हम लोग किडनी खरीद फरोख्त का व्यापार करते है। नई दिल्ली मे मुकदमा वादी जो कम्पनी बाग गांधी नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बस्ती के रहने वाले है से हास्पिटल मे मुलाकात हुआ । तो मुझे जानकारी हुई कि इनके पत्नी को भी किडनी की गम्भीर समस्या है। मैने मुकदमा वादी की पत्नी को किडनी उपलब्ध कराने हेतु वादी से कई किस्तो मे कुल मिलाकर 05 लाख 75 हजार रुपया ले लिया । मैने किडनी डोनर को किडनी देने हेतु तैयार कर लिया था तथा कोलकाता मे मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र भी दिलवा दिया था । लेकिन बीच मे क्या बात पडी कि किडनी डोनेट नही हो पायी तथा वादी मुझसे पैसे मांगने लगे। मैनें वादी को 70000/- रुपये वापस कर दिया हुआ हूं और पैसो या कीडनी उपलब्ध कराने के प्रयास में था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रोहित कुमार यादव पुत्र बजरंगबली उर्फ बजरंगी यादव निवासी ग्राम बभनमई थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

निरीक्षक शशिकान्त यादव मय हमराह का0 मनोज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।